न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-127RAAJodhpur2023-71RTA225 Somukhan ors Vs Seeyaram etc

1. सोमु खां पुत्र श्री रहमत खां
2. आबलं पत्नी श्री साहब खां
   जातियान् सिन्धी मुसलमान, निवासीगण– जसपाली, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सीयाराम पुत्र श्री थानाराम
2. छोगाराम पुत्र श्री थाना राम
3. मधु बैवा नारायणराम के कायम मुकामः–
   3.1. मांगुड़ी पत्नी श्री शैतान राम
4. किशनाराम पुत्र श्री नारायणराम
5. बुधाराम पुत्र श्री नारायणराम
6. दुर्गाराम पुत्र श्री नारायणराम के कायम मुकामः–
   6.1. पपुड़ी पत्नी स्व. श्री दुर्गाराम
   6.2. बाबुराम पुत्र स्व. श्री दुर्गाराम
   6.3. घासीराम पुत्र स्व. श्री दुर्गाराम
   6.4. सेना पुत्री स्व. श्री दुर्गाराम
   सभी जातियान् राईका, निवासीगण– जसपाली, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जून 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 492/2016 सीयाराम व अन्य बनाम सोमुखां इत्यादि

उपस्थित–
श्री धर्माराम प्रजापत, श्री जावेद हुसैन, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या सात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 21 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 492/2016 सीयाराम व अन्य बनाम सोमुखां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 26 जुलाई 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 502 रकबा 25.16 बीघा ग्राम जसपाली तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 503 एवं 504 में सें मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जून 2017 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि का विभाजन हो चुका है तथा में खसरा नंबर 502 की भूमि बट्टा नंबर मे विभाजित हो चुकी है। रेस्पो. के आवागमन हेतु खसरा नंबर 503 में से सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त रास्ते की जांच न कर वांछित रास्ते की रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलांट्स की भूमि में से कोई रास्ता नहीं चलता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा केवल अपीलांट्स को परेशान करने के उद्धेश्य से आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्त किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के जवाब पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि–विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जून 2017 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। अपीलांट सोमुखां द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात भूमि प्रेमाराम, बीरमराम पुत्रान् शिवराम को बेचान कर दी है तथा उक्त नवीन क्रेतागण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। उनकी ओर से रास्ते बाबत किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्तमान में अपीलांट सोमुखां का अपीलाधीन आदेश में वर्णित भमि से कोई सरोकार नहीं रहा है। भू–अभिलेख निरीक्षक पीपाड़ शहर द्वारा उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन रास्ते की राजस्व रेकर्ड में पालना हो चुकी है तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा मौके पर रास्ता खुलवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.02.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के खातेदारी खसरा नंबर 502 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। उक्त मौका फर्द पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका फर्द अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 1633 ग्राम जसपाली(पी–35 क्रमांक 4736 दिनांक 03.02.2023) एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के पत्र क्रमांकः राजस्व/धारा 251 क/2021/396

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 27.12.2021 के मुताबिक अपीलांट सोमु खां द्वारा खसरा नंबर 504 की भूमि का बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट सोमु खां द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण करने के बाद हस्तांतरित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश के बाबत चाराजोही करने का अधिकारी नहीं ठहरता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशा के अनुरूप उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 492/2016 सीयाराम व अन्य बनाम सोमुखां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जून 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर